न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 155/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुन्दर लाल पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

2. सुल्तान पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

3. सावत्री पुत्री घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–– वादीगण/अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्योनारायण
2 उमराव पुत्र सगरू
3 फूलिया पुत्र चन्दर जातियार अहीर निवासीयान ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 मिट्ठू पुत्र बलीराम
5 पतराम पुत्र बलीराम
6 रामबीर पुत्र बलीराम
7 कृष्ण पुत्र बलीराम जातियान अहीर निवासीयान श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
8 फूलिया पुत्र बल्ला जाति अहीर निवासी ग्राम श्रीकृष्ण नगर
9 शेरसिंह पुत्र महादेवा
10 सुबे सिंह पुत्र महादेवा
11 राम सिंह पुत्र महादेवा जातियान अहीर निवासीयान ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
12 रामजीलाल पुत्र छाजूराम

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

13 फूलचन्द पुत्र छाजूराम
14 रोहिताश पुत्र रामस्वरूप
15 महादेव पुत्र गोपाल
16 हेतराम पुत्र सूरजभान
17 रोहिताश पुत्र सूरजभान जातियान अहीर निवासीयान ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
18 मनोहर पुत्र भंवरिया जाति अहीर निवासी ग्राम श्रीकृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान,
19 तहसीलदार, मुण्डावर
20 मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ततारपुर तहसील मुण्डावर

:——— प्रतिवादी/असल रेस्पो0

21 चन्द्रकला पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— प्रतिवादी/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 9.9.2019

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री विनोद यादव

2. वकील रेस्पो0 :— बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 24.11.2021

———— ————————

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 143/2010 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 9.9.2019, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 3.95 हेक्टेयर वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर में 1/8 भाग विवादित है । उक्त आराजी में वादीगण के पूर्वज जयकिशन के वारिसान श्योसहाय, बालकिशन, केशला पुत्रान जयकिशन का 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी और 1/2 भाग पर काबिज होकर काश्त करते थे । राजस्व रेकार्ड में 1/2 भाग पर खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी । बंदोबस्त सम्वत 2029 के बाद राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर असल प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम हजफ करवा दिया । जबकि मौके पर वादीगण अपने 1/8 भाग पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । विवादित आराजी पैत्रिक है । असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 9.9.2019 द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी के 1/8 भाग के हम खातेदार थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर असल प्रतिवादीगण ने हमारा नाम हजफ करवा दिया । हमने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 01 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 पेश किया, जो स्वीकार हो गया था तथा वाद पत्र संशोधित हो गया था । परन्तु तहत अदालत ने अपने आदेश पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया । यदि संशोधन न्यायसंगत नहीं था तो तहत अदालत को प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिये था । कोई भी न्यायालय स्वयं के आदेश को बिना रिव्यू किये गलत नहीं ठहरा सकता । असल रेस्पो0 ने भी स्वीकार करने के आदेश को चुनौती नहीं दी थी । तहत अदालत ने अनावश्यक कानूनी कमियां बता कर हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है । तहत अदालत को वाद की विषय वस्तु पर विचार करके निर्णय पारित करना चाहिये था । असल प्रतिवादीगण तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई थी । ऐसी स्थिति में वाद पत्र डिक्री करना चाहिये था । तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि दुलीचन्द ने दावा इकरारनामा के आधार पर किया था, किन्तु उसे विवादित आराजी का खातेदार हमको ही घोषित कराने का अनुतोष चाहा था । इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं । इसलिये दुलीचन्द के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

स्थान हम अपीलांट्स वादीगण के जैल में आकर पक्षकार बने थे और दावा वादीगण का हो गया । इसलिये दुलीचन्द आवश्यक पक्षकार नहीं रहा और वह दावे से बाहर हो गया, किन्तु तहत अदालत ने मनमाने तरीके पर वाद पत्र खारिज कर दिया । तहत अदालत ने आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों की मंशा को समझा नहीं । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत के निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत अदालत ने वादी का वाद पत्र मुख्य रूप से पक्षकारों के संयोजन एवं कुसंयोजन के आधार पर खारिज किया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहत अदालत में वाद पत्र संख्या 143/2010 मूल रूप से वादी दुलीचन्द ने पेश किया था और उक्त दुलीचन्द ने अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 3.95 हेक्टेयर वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर में 1/8 भाग का तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । ये तरतीबी प्रतिवादीगण सुन्दर लाल पुत्र घीसाराम, फूला बेवा घीसाराम, सावत्री पुत्री घीसाराम थे । इसके बाद तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 उक्त तरतीबी प्रतिवादीगण ने इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी से वादी दुलीचन्द का कोई लेना देना नहीं है । स्वयं वादी दुलीचन्द ने तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा है । विवादित आराजी में हम तरतीबी प्रतिवादीगण का ही हक निहित है । इसलिये वाद पत्र में हमको तरतीबी प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण दर्ज किया जावे । एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 सुन्दर लाल वगैरा ने इस आशय का पेश किया कि चन्द्रकला घीसा की पुत्री है और उसका भी विवादित आराजी में हक निहित है । इसलिये चन्द्रकला को तरतीबी प्रतिवादी बनाया जावे । तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 22 फूला पत्नि घीसा का देहान्त हो चुका है, उसका नाम हजफ किया जावे । तहत अदालत ने आदेश दिनांक 18.9.2018 द्वारा उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) स्वीकार किये थे और संशोधित वाद पत्र पेश करने की अनुमति दे दी थी । इससे सिद्ध है कि अब वाद पत्र दुलीचन्द की ओर से पेश किया हुआ नहीं माना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जावेंगा, बल्कि सुन्दर लाल पुत्र घीसाराम, सुल्तान पुत्र घीसाराम व सावत्री पुत्री घीसाराम द्वारा पेश किया हुआ माना जावेगा । परन्तु तहत अदालत ने आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को पक्षकारों के संयोजन एवं कुसंयोजन के आधार पर वाद पत्र खारिज कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । तहत अदालत को गुणावगुण के आधार पर वादीगण सुन्दर लाल वगैरा के अधिकार तय करने चाहिये थे । अतः तहत अदालत का पक्षकारों का संयोजन एवं कुसंयोजन वाला निष्कर्ष खारिज किया जाता है ।

6 इसके पश्चात हमने प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । इकरारनामा दिनांक 29.12.2006 द्वारा वादीगण अपीलांट्स सुन्दरलाल वगैरा ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 3.95 हेक्टेयर में से 1/8 भाग के बेचान का सौदा दुलीचन्द से किया था । उक्त इकरारनामा में अपीलांट्स ने अंकित किया है कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से मृतक घीसाराम की विरासत का इन्तकाल दर्ज करते समय गलती से हमारा हिस्सा चौसाला जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया था । जब भी चौसाला जमाबन्दी में हमारे नाम का अंकन हो जायेगा, हम क्रेता के पक्ष में बयनामा करा देंगे । विरासत इन्तकाल नम्बर 5 दिनांक 15.6.1975 द्वारा बालकिशन, श्योसहाय, केसला की विरासत उनके वारिसान घीसाराम, गुलजारी पिसरान बालकिशन तथा मनोहर सिंह, धनसिंह, श्रीराम, मन्जू नवीरा श्योसहाय के नाम दर्ज हुई थी । घीसा और गुलजारी के नाम समभाग में 1/4 भाग की विरासत दर्ज हुई थी । अर्थात अकेले घीसा के नाम 1/8 भाग की विरासत दर्ज हुई है । विरासत इन्तकाल नम्बर 2028 द्वारा घीसा की 1/8 भाग की विरासत अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 चन्द्रकला के नाम दर्ज हुई है ।

7 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है, जिसमें अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 के पिता घीसा का 1/8 हिस्सा था और घीसा के देहान्त के बाद उक्त 1/8 भाग अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 चन्द्रकला को जरिये विरासत प्राप्त हुई थी । परन्तु उक्त विरासत इन्तकाल का अमल राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दी में नहीं किया । इस तथ्य का खुलासा अपीलांट्स ने इकरारनामा में भी किया है । साथ ही स्वयं मूल वादी दुलीचन्द, जिसने विवादित भूमि के 1/8 भाग का इकरारनामा अपीलांट्स से अपने पक्ष में करवाया था, ने भी अपने वाद पत्र में यही अनुतोष चाहा था कि विवादित भूमि के 1/8 भाग का खातेदार अपीलांट्स वादीगण सुन्दर लाल वगैरा को घोषित कर दिया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलांट्स एवं तरतीवी रेस्पो0 अपनी पैत्रिक भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है । लिहाजा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.9.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 को आराजी हाल खसरा नम्बर 538 रकबा 3.95 हेक्टेयर वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त 1/8 भाग पर से असल प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 को खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 155/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुन्दर लाल पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

2. सुल्तान पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

3. सावत्री पुत्री घीसा राम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर

तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—— वादीगण/अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र श्योनारायण
2 उमराव पुत्र सगरू
3 फूलिया पुत्र चन्दर जातियार अहीर निवासीयान ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 मिट्ठू पुत्र बलीराम
5 पतराम पुत्र बलीराम
6 रामबीर पुत्र बलीराम
7 कृष्ण पुत्र बलीराम जातियान अहीर निवासीयान श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
8 फूलिया पुत्र बल्ला जाति अहीर निवासी ग्राम श्रीकृष्ण नगर
9 शेरसिंह पुत्र महादेवा
10 सुवे सिंह पुत्र महादेवा
11 राम सिंह पुत्र महादेवा जातियान अहीर निवासीयान ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
12 रामजीलाल पुत्र छाजूराम
13 फूलचन्द पुत्र छाजूराम
14 रोहिताश पुत्र रामस्वरूप
15 महादेव पुत्र गोपाल
16 हेतराम पुत्र सूरजभान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

17 रोहिताश पुत्र सूरजभान जातियान अहीर निवासीयान ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

18 मनोहर पुत्र भंवरिया जाति अहीर निवासी ग्राम श्रीकृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान,

19 तहसीलदार, मुण्डावर

20 मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ततारपुर तहसील मुण्डावर

:—— प्रतिवादी/असल रेस्पो0

21 चन्द्रकला पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—— प्रतिवादी/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 9.9.2019

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री विनोद यादव

2. वकील रेस्पो0 :— बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

पर्चा डिक्री दिनांक 24.11.2021

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.9.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 को आराजी हाल खसरा नम्बर 538 रकबा 3.95 हेक्टेयर वाके ग्राम टेहडकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त 1/8 भाग पर से असल प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांट्स एवं तरतीबी रेस्पो0 को खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर